"Bye-Elections to TSLA,2021
TOP PRIORITY"

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, TELANGANA

GENERAL ADMINISTRATION (ELECTIONS) DEPARTMENT

5th Floor, North Block, Buddah Bhavan, Secunderabad, Hyderabad-03.

Memo.No.2221/Elec.D/A1/2021-51 **Dated:07.10.2021**

Sub:-Elections–Bye Election to the TSLA, 2021 from 31-Huzurabad Assembly Constituency- **Commission's Direction regarding Electronic Transmission of Postal Ballot Papers to Service voters** – Copy sent-Reg.

Ref:- ECI Letter No. 52/2021/SDR/Vol.III /754, Dated 01.10.2021

* * *

A copy of the reference cited is sent herewith to the Collector & District Election Officer, Karimnagar, Returning Officer, 31-Huzurabad Assembly Constituency and Electoral Registration Officer, Huzurabad for taking necessary action in the matter and briefing the contesting Candidates accordingly.

DR. SHASHANK GOEL
CHIEF ELECTORAL OFFICER &
E.O.SPL. CHIEF SECRETARY TO GOVT

To
The Collector & District Election Officer, Karimnagar (w.e.)
The Returning Officer, 31-Huzurabad Assembly Constituency
The Electoral Registration Officer, 31-Huzurabad AC (Through DEO, Karimnagar) (w.e.)
Copy to:
PM (IT) to coordinate with ECI and DEO, Karimnagar.
Sri Sudhakar, SLA (for placing on CEO, Telangana Website)

// FORWARDED:: BY ORDER//

SECTION OFFICER

By Camp Bag/E-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI- 110001

No. 52/2021/SDR/Vol.III / 454 Dated: 1st October, 2021

To,

The Chief Electoral Officer of

1. UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
2. Madhya Pradesh
3. Himachal Pradesh
4. Andhra Pradesh
5. Assam
6. Bihar
7. Haryana
8. Karnataka
9. Maharashtra
10. Meghalaya
11. Mizoram
12. Nagaland,
13. Rajasthan
14. Telangana
15. West Bengal

GI
No: 3251
Date: 7/10/21
Section

Subject: Bye Elections to the House of the people and Legislative Assemblies of various States/UT. Commission's Direction regarding electronic transmission of postal ballot papers to service voters – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith copy of the Direction dated 1st October, 2021issued by the Election Commission in terms of second proviso to sub-rule (1) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, laying down the procedure of transmitting postal ballot papers electronicallyto service voters during the **current bye-elections in 3 Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, States of Madhya Pradesh & Himachal Pradesh and 30 Assembly Constituencies of 14 States(As per Annexure-I).**

2. A copy of the Direction may be sent to the Returning Officers for electronic transmission of postal ballot papers to the service voters.This may also be communicatedto District Election Officersand the other election authorities. The contesting candidates should also be briefed by Returning Officers /District Election Officers in this regard.

3. Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully

(Abhishek Tiwari)
Under Secretary

M.U
SO/D - communicate to DEO, RO and ERO, HZB to follow the instruction scrupulously.

Annexure-I

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	Dadra & Nagar Haveli
2.	Madhya Pradesh	28-Khandwa
3.	Himachal Pradesh	2-Mandi

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Assembly Constituency
1	Andhra Pradesh	124-Badvel(SC)
2	Assam	28-Gossaigaon
3	Assam	41-Bhabanipur
4	Assam	58-Tamulpur
5	Assam	101-Mariani
6	Assam	107-Thowra
7	Bihar	78-Kusheshwar Asthan(SC)
8	Bihar	164-Tarapur
9	Haryana	46-Ellenabad
10	Himachal Pradesh	08-Fatehpur
11	Himachal Pradesh	50-Arki
12	Himachal Pradesh	65-Jubbal-Kotkhai
13	Karnataka	33-Sindgi
14	Karnataka	82-Hangal
15	Madhya Pradesh	45-Prithvipur
16	Madhya Pradesh	62-Raigaon(SC)
17	Madhya Pradesh	192-Jobat(ST)
18	Maharashtra	90-Deglur(SC)
19	Meghalaya	13-Mawryngkneng(ST)
20	Meghalaya	24-Mawphlang(ST)
21	Meghalaya	47-Rajabala
22	Mizoram	4-Tuirial(ST)
23	Nagaland	58-Shamtorr-Chessore(ST)
24	Rajasthan	155-Vallabhnagar
25	Rajasthan	157-Dhariawad(ST)
26	Telangana	31-Huzurabad
27	West Bengal	7-Dinhata
28	West Bengal	86-Santipur
29	West Bengal	109-Khardaha
30	West Bengal	127-Gosaba(SC)

<u>अनुलग्नक-I</u>

क्रम सं,	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम
1.	संध राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एंव दमन औ दीव	दादरा और नागर हवेली
2.	मध्यप्रदेश	28 - खण्डवा
3.	हिमाचल प्रदेश	2 - मण्डी

क्रम सं.	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम और संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	124- बाडवेल (अ.जा.)
2.	असम	28- गोस्साई गाँव
3.	असम	41- भबानीपुर
4.	असम	58- तमुलपुर
5.	असम	101- मरियानी
6.	असम	107- थोवरा
7.	बिहार	78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)
8.	बिहार	164- तारापुर
9.	हरियाणा	46- ऐलनाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश	08- फतेहपुर
11.	हिमाचल प्रदेश	50- अर्की
12.	हिमाचल प्रदेश	65- जुब्बल-कोटखाई
13.	कर्नाटक	33- सिन्डगी
14.	कर्नाटक	82- हानगल
15.	मध्य प्रदेश	45- पृथ्वीपुर
16.	मध्य प्रदेश	62- रैगाँव (अ.जा)
17.	मध्य प्रदेश	192- जोबट (अ.ज.जा)
18.	महाराष्ट्र	90- देगलुर (अ.जा.)
19.	मेधालय	13- मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.)
20.	मेघालय	24- मावफलांग (अ.ज.जा.)
21.	मेघालय	47- राजबाला
22.	मिजोरम	4- तुईरिअल (अ.ज.जा.)
23.	नागालैड	58- शामटोर चेस्सोरे (अ.ज.जा.)
24.	राजस्थान	155- वल्लभनगर
25.	राजस्थान	157- धरियावद(अ.ज.जा.)
26.	तेलंगाना	31- हुजूराबाद
27.	पश्चिम बंगाल	7- दिनहाटा
28.	पश्चिम बंगाल	86- सान्तिपुर
29.	पश्चिम बंगाल	109- खारडाह
30.	पश्चिम बंगाल	127- गोसाबा (अ.जा.)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52/2021/SDR/Vol.III Dated: 1st October, 2021

DIRECTION

In terms of the provisions of the second proviso to sub-rule(l) of Rule 23 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Election Commission hereby lays down the following manner for transmission of postal ballot papers by electronic means to the service voters and counting of the postal ballots received back from service voters: -

1. Documents to be transmitted -

The Returning Officer shall transmit the following documents, electronically:

(a) Postal Ballot Paper,

(b) Form 13-A-Declaration by Elector,

(c) Label for Form 13-B- Cover A (Inner Envelope),

(d) Label for Form l3-C-Cover B (Outer Envelope),

(e) Form l3-D- Instructions for the Guidance of Elector.

2. Mode of transmission-

As soon as the Central Administration Officer (C- Admin) activates the 'RO operations' for release of postal ballot paper electronically, the Returning Officer shall be able to log into the system and perform the following activities:-

(a) 'Enter'/'view' the data for the election of his constituency as per the election schedule (i.e. description of the election, state code of constituency, type of constituency (AC or PC), number of constituency, name of constituency, date of the election and RO address for mailing/dispatching back the marked Postal ballots.

(b) 'Enter'/'view' the download window (i.e. start date and time and end date and time) for Postal Ballot.

(c) Load template of the Postal Ballot Paper specific to his constituency.

(d) View and approve the sample Postal Ballot generated by the system.

(e) Generate the password (PIN) and password protected Postal Ballots in bulk for the service voters registered in his constituency.

3. Downloading and printing of ETPB -

(a) The officer in charge of Records/Unit Officer concerned/Nodal Officer competent to download the Electronically Transmitted Postal Ballot Papers (ETPBs) shall download the same using the secure OTP means.

(b) Thereafter, if the service voter concerned is in a position to take printout of the ETPB, he shall do so using the PIN that would be transmitted to him. In other cases, the Unit Officer/Nodal Officer shall take the print of the ETPB and handover the ETPB along with print of Form-13A, labels for Form 13B and 13C and instruction in Form 13D to the service voter concerned. It shall be ensured that the ETPB and the accompanying documents meant for a particular service voter is handed over to the very particular service voter only and to no one else.

(c) Two envelopes - one smaller envelope for Form 13B and a larger envelope for Form 13C shall also be supplied to each service voter. Concerned CEO would be supplying the sufficient number of envelopes (inner and outer) as per the specifications, in advance, and the Record Officer/Unit Officer/Commandant, would be giving the pair of inner and outer envelopes to the Service Voter deployed with them.

(d) The Unit officer/Nodal Officer shall maintain a record of ETPBs handed over to each service voter. This record shall be preserved in the unit concerned for five years so that the same can be produced for inspection before any authority or before Courts in the event the same is required to be inspected.

4. Voting and return of ETPB-

On receipt of the ETPB and the accompanying papers, the service voter shall-

(a) mark his vote on the ballot paper by putting a cross (X) or tick (v') against the name of the candidate of his choice as per the instructions in Form 13D. He shall then, place the marked ballot paper inside the smaller envelope, close the envelope by gum and paste the label for Form 13B on this envelope. Also, the serial number of the ballot paper shall be noted on the Form 13B at the space provided for the purpose on that envelope, if not already printed thereon.

(b) Fill up the declaration in Form 13A, sign the same and get it attested by the officer designated for attestation.

(c) Place (i) the closed (gummed) smaller envelope (Form 13B) and (ii) the declaration in Form 13A, inside the larger envelope and close the same using gum.

(d) Paste the label for Form 13C on the larger envelope and put signature in the place marked for signature of sender.

(e) Dispatch the envelope (Form 13C) back to the RO through the available postal means.

(f) No postage stamp need be affixed on the envelope (Form 13C) if posted, within India.

(g) CEO should inform GM Post Office to accept the envelope for speed post-delivery to addressee and charges would be paid by CEO Office.

5. Counting of ETPBs

(A) Counting of ETPBs shall be done at RO's Table, as in the case of the other postal ballots.

(B) Only such Postal Ballots which have been received before the hour fixed for commencement of counting, shall be counted.

(C) **Opening of the Envelopes and Verification:-**

(i) Opening of Form 13-C or cover 'B' (Outer Envelope)-The covers in Form 13-C, received in time, should be verified and opened one after another. QR code on the Outer Envelope will be scanned using a computer software and QR code reader and necessary validity checks will be performed. After verification of the outer envelope, a unique serial number will be provided by the computer. This serial number will also be manually marked by RO on the envelope being verified. The computer software will check the entry in the QR code for any possible duplicates in the list of Postal Ballots received and flag a warning for such cases. The computer software will also provide the list of serial numbers which are all duplicate to the Postal Ballot being handled. The RO will locate all such duplicate envelopes as indicated by the computer software and keep them together physically and invalidate all such duplicate/multiple votes. All such envelopes declared invalid shall not be opened for further processing and will be kept aside and preserved for future reference. Number of such duplicate Postal Ballots shall be marked in the register.

(ii) On opening Cover "B" (Form 13C), two documents are required to be found inside. The first is the declaration by the voter in Form 13-A and the second the inner cover i.e. Form 13-B containing the Postal Ballot Paper.

(iii) As each cover is opened, RO should take out the declaration in Form 13-A and the cover in Form 13-B, scan, verify and then scrutinize the declaration.

(iv) Before opening the cover in Form 13-B containing the Postal Ballot Paper, the RO must check the declaration in Form 13-A and all such forms 13A must be kept separately and sealed, before taking up Form 13B for opening and counting.

(v) RO will reject a Postal Ballot without opening its inner cover in Form 13-B if:-

(a) the declaration in Form 13-A is not found in the cover, or

(b) the Electronic Postal Ballot Identification Number (e-PBID) in the declaration in Form 13-A does not match the issued e-PBID, or

(c) the declaration has not been duly signed and, or not attested by an officer competent to do so, or the e-PBID of Postal Ballot appearing in the declaration is different from the e-PBID on the cover in Form 13-B

(vi) Each such rejected cover should be endorsed suitably and the declaration and the cover should be placed back in the cover in Form 13-C(Outer Envelope). All such covers in Form 13-C should be kept together in a separate packet duly sealed and full particulars such as the name of the constituency, the date of counting and a brief description of contents should be noted thereon for easy identification.

(vii) All the declarations in Form 13-A, which have been found to be in order, should then be kept separately for counting.

(viii) For further counting, all instructions for counting of postal ballot paper shall apply.

(ix) Scanning of QR Codes SHOULD be done in the sequence without fail. Form 13C should be scanned first, followed by both the QR Code on Form 13A and then Form 13B. SEQUENCE OF QR CODE SCANNING SHOULD NOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

Yours faithfully,

(Ashwani Kumar Mohal)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 52/2021/एसडीआर/खंड-III   दिनांक: 1 अक्तूबर, 2021

निदेश

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा, सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा डाक मतपत्रों के प्रेषण के लिए और सेवा मतदाताओं से वापस प्राप्त हुए इन डाक मतपत्रों की गणना के लिए निम्नलिखित रीतियों का निर्धारण करता है:-

1. प्रेषित किए जाने वाले दस्तावेज -

रिटर्निंग ऑफिसर निम्नलिखित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा:

(क) डाक मतपत्र,

(ख) प्ररूप 13-क-निर्वाचक द्वारा घोषणा,

(ग) प्ररूप 13-ख-आवरण ए के लिए लेबल (भीतरी लिफाफा),

(घ) प्ररूप 13-ग-आवरण बी के लिए लेबल (बाहरी लिफाफा)

(ङ) प्ररूप 13-घ-निर्वाचक के मार्गनिर्देश हेतु अनुदेश

2. प्रेषण की रीति -

केंद्रीय प्रशासन अधिकारी (सी-एडमिन) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में 'आरओ प्रचालन' सक्रिय कर देने के उपरांत, रिटर्निंग ऑफिसर सिस्टम में लॉग-इन करने में समर्थ हो जाएगा और निम्नलिखित कार्यकलाप करेगा:

क. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाटा प्रविष्ट करेगा/देखेगा (अर्थात निर्वाचन का विवरण, निर्वाचन क्षेत्र का राज्य कोड, निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार (विधान सभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र), निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन की तिथि और चिह्नित डाक मतपत्र को डाक प्रेषित करने/वापस प्रेषित करने के लिए आरओ का पता)

ख. डाक मतपत्र के लिए डाउनलोड विंडो (अर्थात आरंभ होने की तिथि और समय तथा समाप्त होने की तिथि और समय) को प्रविष्ट करेगा/ देखेगा

ग. अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशिष्ट डाक मतपत्र का नमूना लोड करेगा

घ. सिस्टम द्वारा जेनरेट किए गए नमूना डाक मतपत्र को देखेगा और अनुमोदित करेगा

ङ. अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबद्ध सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों का पासवर्ड (पिन) सृजित करेगा तथा थोक संख्या में पासवर्ड संरक्षित डाक मतपत्र सृजित करेगा।

3. ईटीपीबी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र) को डाउनलोड करना और प्रिंट करना

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र (ईटीपीबी) को डाउनलोड करने के लिए सक्षम अभिलेखों का प्रभारी अधिकारी/संबंधित यूनिट अधिकारी/नोडल अधिकारी सुरक्षित ओटीपी साधनों का उपयोग करके डाक मतपत्रों को डाउनलोड करेगा।

(ख) तदुपरांत, यदि संबंधित सेवा मतदाता ईटीपीबी का प्रिंट आउट लेने की स्थिति में है तो वह उसको प्रेषित किए गए पिन का उपयोग करके उसका प्रिंट आउट लेगा। अन्य मामलों में यूनिट अधिकारी/नोडल अधिकारी ईटीपीबी का प्रिंट लेगा और संबंधित सेवा मतदाता को प्ररूप 13क के प्रिंट, प्ररूप 13ख और 13ग के लिए लेबल और प्ररूप 13घ में अनुदेश के साथ ईटीपीबी सौंप देगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विशेष सेवा मतदाता के निमित्त ईटीपीबी और सहवर्ती दस्तावेज केवल उसी विशेष सेवा मतदाता को सौंपे जाए और न कि किसी और को।

(ग) प्रत्येक सेवा मतदाता को दो लिफाफे- प्ररूप 13ख के लिए एक छोटा लिफाफा और प्ररूप 13ग के लिए एक बड़ा लिफाफा, भी दिए जाएंगे। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनिर्देश के अनुसार अग्रिम रूप से पर्याप्त मात्रा में लिफाफों (भीतरी और बाहरी) की सप्लाई करेगा और अभिलेख अधिकारी/यूनिट

अधिकारी/कमांडेंट अपने साथ तैनात सेवा मतदाताओं को भीतरी और बाहरी लिफाफों का जोड़ा प्रदान करेंगे।

(घ) यूनिट अधिकारी/नोडल अधिकारी प्रत्येक सेवा मतदाता को सौंपे गए सभी ईटीपीबी का रिकार्ड रखेंगे। यह रिकार्ड संबंधित यूनिट में पांच वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा ताकि यदि उसकी जांच करने की अपेक्षा उत्पन्न हो तो उसे किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष जांच के लिए पेश किया जा सके।

4. मतदान और ईटीपीबी को वापस किया जाना

ईटीपीबी और सहवर्ती कागजात प्राप्त होने पर सेवा मतदाता-

(क) प्ररूप 13घ में दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रास (X) या टिक (√) का निशान लगाकर मतपत्र पर अपना मत चिह्नित करेगा। तब वह छोटे लिफाफे के अंदर चिह्नित मतपत्र रखेगा और लिफाफे को गोंद से बंद करके उस लिफाफे पर प्ररूप 13ख का लेबल चिपकाएगा। यदि उस लिफाफे पर पहले से मतपत्र की क्रम संख्या प्रिंट नहीं की गई है तो इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 13ख पर दिए गए स्थान पर मतपत्र की क्रम संख्या भी लिखेगा।

(ख) प्ररूप 13क में दी गई घोषणा को भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा इसके अनुप्रमाणन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी से उसका अनुप्रमाणन करवाएगा।

(ग) बड़े लिफाफे के भीतर (i) बंद किया हुआ (गोंद से चिपकाया हुआ) छोटा लिफाफा (प्ररूप 13ख) और (ii) प्ररूप 13क में घोषणा को रखेगा और गोंद का उपयोग करके उसे बंद कर देगा।

(घ) बड़े लिफाफे पर प्ररूप 13ग का लेबल चिपकाएगा और प्रेषक के हस्ताक्षर के लिए दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेगा।

(ङ) उपलब्ध डाक साधनों के माध्यम से लिफाफे (प्ररूप 13ग) को रिटर्निंग ऑफिसर को वापस भेजेगा।

(च) यदि यह लिफाफा (प्ररूप 13ग) भारत के भीतर डाक प्रेषित किया गया है तो उस पर कोई डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(छ) मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को महाप्रबंधक, डाकघर को सूचित करना चाहिए कि वे प्रेषिति को स्पीड पोस्ट की डिलिवरी के लिए भेजे गए लिफाफे को स्वीकृत करें और यह भी कि उसके प्रभार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अदा किए जाएंगे।

5. ईटीपीबी पर डाले गए मतों की गणना

(क) अन्य डाक मतपत्रों की तरह ईटीपीबी की गणना रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर की जाएगी।

(ख) केवल उन्हीं डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले प्राप्त हो गए हों।

(ग) लिफाफों को खोलना तथा सत्यापन-

(i) प्ररूप 13-ग या लिफाफा 'ख' खोलना (बाहरी लिफाफा)-समय पर प्राप्त प्ररूप 13ग में आवरणों को सत्यापित करके एक के बाद एक खोलना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर लगे क्यूआर कोड को कंप्यूटर साफ्टवेयर और क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके स्कैन किया जाएगा और आवश्यक विधिमान्यता जांच की जाएगी। बाहरी लिफाफे का सत्यापन किए जाने के बाद कंप्यूटर द्वारा एक विशिष्ट क्रम संख्या प्रदान की जाएगी। रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस क्रम संख्या को सत्यापित किए जा रहे लिफाफे पर भी हाथ से चिह्नित किया जाएगा। कंप्यूटर साफ्टवेयर प्राप्त डाक मतपत्रों की सूची में किन्हीं संभव अनुलिपियों के लिए क्यूआर कोड में प्रविष्टि की जांच करेगा और ऐसे मामलों के लिए चेतावनी का संकेत देगा। कंप्यूटर साफ्टवेयर ऐसी क्रम संख्याओं की सूची भी प्रदान करेगा जो सभी हैंडल किए जा रहे डाक मतपत्रों के डुप्लीकेट हैं। रिटर्निंग आफिसर कंप्यूटर साफ्टवेयर द्वारा यथा निर्दिष्ट ऐसे सभी डुप्लीकेट लिफाफों का स्थान निर्धारण करेगा और उन्हें प्रत्यक्षत: एक साथ रखेगा तथा ऐसे

सभी डुप्लीकेट/बहुल मतों को अवैध कर देगा। अविधिमान्य घोषित किए गए ऐसे सभी लिफाफे आगे की कार्रवाई हेतु नहीं खोले जाएंगे और एक किनारे रख दिए जाएंगे तथा भावी संदर्भ हेतु संरक्षित कर लिए जाएंगे। ऐसे डुप्लीकेट डाक मतपत्रों की संख्या रजिस्टर में दर्ज कर ली जाएगी।

(ii) आवरण 'ख' (प्ररूप 13ग) खोलने पर उसके अंदर दो दस्तावेज पाए जाने अपेक्षित हैं। पहला प्ररूप 13क में मतदाता द्वारा की गई घोषणा है और दूसरा भीतरी आवरण अर्थात प्ररूप 13ख वाला डाक मतपत्र होता है।

(iii) जैसे ही प्रत्येक आवरण खोला जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 13क में घोषणा और प्ररूप 13ख में आवरण को बाहर निकालना चाहिए, उसे स्कैन करना चाहिए, उसका सत्यापन करना चाहिए और तब घोषणा की संवीक्षा करनी चाहिए।

(iv) प्ररूप 13ख जिसमें डाक मतपत्र रखा होता है, के आवरण को खोलने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 13क में घोषणा की जांच अवश्य करनी चाहिए और ऐसे सभी प्ररूप 13ख को खोलने और उसकी गणना करने से पहले प्ररूप 13क को अलग रखना चाहिए तथा उसे सीलबंद कर देना चाहिए।

(v) रिटर्निंग ऑफिसर किसी डाक मतपत्र को प्ररूप 13ख में उसके भीतरी आवरण को खोले बिना अस्वीकार कर देगा यदि:

(क) प्ररूप 13-क में घोषणा आवरण में नहीं पाई जाती है, या

(ख) प्ररूप 13-क में घोषणा में इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र पहचान संख्या (ई-पीबीआईडी) जारी ई-पीबीआईडी से मेल नहीं खाती है, या

(ग) घोषणा पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और, या अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उसका अनुप्रमाणन नहीं किया गया है, या घोषणा में उल्लिखित डाक मतपत्र का ई-पीबीआईडी प्ररूप 13-ख में आवरण पर ई-पीबीआईडी से भिन्न हो।

(vi) इस प्रकार अस्वीकृत किए गए सभी आवरण उपयुक्त ढंग से पृष्ठांकित किए जाने चाहिए और घोषणा और आदरण को प्ररूप 13-ग (बाहरी लिफाफा) में वापस रख दिया जाना चाहिए। प्ररूप 13-ग में ऐसे सभी आवरण को विधिवत रूप से सीलबंद किए गए एक अलग पैकेट में एक साथ रखा जाना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तिथि और अंतर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण जैसे पूरे विवरण उस पर नोट किए जाने चाहिए ताकि उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

(vii) प्ररूप 13-क में सभी घोषणाएं सुव्यवस्थित पाई जाने पर मतगणना के लिए अलग रखी जानी चाहिए।

(viii) आगे की गणना के लिए डाक मतपत्रों की गणना के सभी अनुदेश लागू होंगे।

(ix) क्यूआर कोड की स्कैनिंग क्रमानुसार **अवश्य** की जानी चाहिए। प्ररूप 13-ग को सबसे पहले स्कैन किया जाना चाहिए, उसके बाद प्ररूप 13क और प्ररूप 13ख पर अंकित दोनों क्यूआर कोड को स्कैन किया जाना चाहिए। **क्यूआर कोड स्कैनिंग का क्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।**

भवदीय,

(अश्वनी कुमार मोहल)

सचिव